कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा.3(3)सविरा/नियम/87 पार्ट–2

दिनांक : 27/3/2014

परिपत्र

(सहकारी सोसाइटी के आस्तियों व दायित्वों का समामेलन, विभाजन एवं पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश)

प्राय: विभिन्न इकाई अधिकारियों द्वारा समय समय पर समितियों की आस्तियों व दायित्वों का समामेलन, विभाजन एवं पुनर्गठन के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जाता है। इस संबंध में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 13 एवं नियम 2003 के नियम 13 में उपलब्ध प्रावधानों के परिपेक्ष्य में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. जहां यह समाधान हो जाता है कि लोकहित मे या सहकारी आन्दोलन के हित में या किसी भी सोसाइटी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि दो या अधिक सहकारी सोसाइटीयों का समामेलन किया जाना चाहिये या किसी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिये या दो या अधिक सोसाइटीयां बनाने के लिये विभाजन किया जाना चाहिये तो ऐसे समामेलन, विभाजन आस्तियों व दायित्वों के अन्तरण या पुनगर्ठन के संबंध मे अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत ऐसे गठन, सम्पत्ति के अधिकारों, हितों और प्राधिकारों और ऐसे दायित्वों, ऋणों और बाध्यताओं के साथ, ऐसे समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बनने वाली सोसाइटी या सोसाइटीयों की नई समिति या समितियों का गठन किया जायेगा को वर्णित करते हुए प्रारूप स्कीम या उप विधियां तैयार की जाए तथा ऐसी सोसाइटी या सोसाइटीयों द्वारा उसका पालन किया जायेगा।

2. उक्त प्रारूप स्कीम या उप विधियां जो तैयार की गई है की प्रति संबंधित सोसाइटी या सोसाइटीयों में से प्रत्येक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सोसाइटी साधारण इकाई की बैठक में तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर प्रस्तावों पर विचार किये जाने और विनिश्चित किये जाने हेतु भिजवाया जावें।

3. सोसाइटी या, यथास्थिति, प्रत्येक सोसाइटीयों में से प्रत्येक, सदस्यों और लेनदारों को, उक्त प्रस्तावों पर उनमें आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए कम से कम तीस दिन का नोटिस देगी। सदस्यों और लेनदारों से प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर साधारण निकाय की बैठक में विचार किया जायेगा और प्रस्तावों पर विनिश्चिय किया जायेगा।

4. यदि सोसाइटी राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन किये गये प्रस्तावों पर अपनी सहमति संसूचित कर दे तो समामेलन, विभाजन या, यथास्थिति, पुनर्गठन के आदेश पारित किया जावे, अन्यथा स्थिति में सोसाइटी के सदस्यों और लेनदारों से प्राप्त समस्त सुझावों या आक्षेपों पर विचार किया जाकर उन सुझावों या आक्षेपों और उन पर सोसाइटी के संकल्प को ध्यान में रखते हुए वांछनीय होने की स्थिति में आदेश के प्रारूप में उपान्तरण किया जाकर तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन अंतिम आदेश जारी किया जावें।

5. यदि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर सोसाइटी उक्त प्रस्तावों पर कोई विनिश्चय करनेक में विफल रहती है तो प्रस्तावित समामेलन, पुनर्गठन या विभाजन ऐसी कालावधि की समाप्ति पर सोसाइटी द्वारा सहमति प्राप्त हुआ समझा जाकर तद्नुसार आवश्यक आदेश जारी किये जा सकेंगे।

6. इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि–
   (क) प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की प्रति संबंधित सोसाइटी या प्रत्येक सोसाइटी को नहीं भेज दी गई हो,
   (ख) प्रारूप पर ऐसे किन्हीं भी सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, जो उसे, या तो सोसाइटी से या उसके किसी भी सदस्य या सदस्यों के वर्ग से या किसी भी लेनदार या लेनदारों के वर्ग से नियत कालावधि के भीतर–भीतर प्राप्त हों, विचार न कर लिया हो और उसमें ऐसे उपान्तरण न कर दिये हों जो उसमें वांछनीय प्रतीत हों।

7. समामेलित, विभाजित या पुनर्गठित की जाने वाली सोसाइटीयों में से प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य या लेनदार, जिसने समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन की स्कीम के बारे में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर–भीतर आपत्ति की है, समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का आदेश जारी होने पर, यदि वह सदस्य है तो, अपना शेयर या हित प्राप्त करने और यदि वह लेनदार है तो, अपने ऋणों की तुष्टि में रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

8. यदि किसी सोसाइटी का विभाजन किया जाना है तो विभाजित सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समिति के समस्त सदस्यों की लेनदारी एवं देनदारी विभाजन के फलस्वरूप नवीन गठित सोसाइटी को हस्तांतरित की जावेगी तथा पैतृक सोसाइटी की बैंक में जमा अंश पूंजी के साथ–साथ सोसाइटी की समस्त निधियों को भी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समिति सदस्यों के अनुपात में विभाजित की जावें।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त/ संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, खण्ड, ... (समस्त)।
3. फंक्शनल अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर ..... (समस्त)।
4. प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक (समस्त)।
6. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, ... (समस्त)।
7. प्रचार अधिकारी प्रधान कार्यालय, जयपुर।
8. गार्ड पत्रावली।

(अशोक अईयर)
उप रजिस्ट्रार (नियम)